अधिसूचना

पटना, दिनांक 27/05/26

संचिका सं0–04 / वी0मु0–20–122 / 12– /एम0, श्री विश्वजीत दॉ, तत्कालीन सहायक निदेशक, जिला खनन कार्यालय, नालंदा सम्प्रति सेवानिवृत प्रभारी उप निदेशक, मुख्यालय द्वारा नालंदा जिला में पदस्थापन के दौरान गिरियक प्रखंड अन्तर्गत अवैध रूप से चिमनी भट्टा के संचालन पर सतत् निगरानी नहीं रखने, विभागीय कार्यो में पूर्ण अभिरूचि नहीं रखने, पूर्व निर्धारित कार्यक्रमानुसार दिनांक–27.12.2009 को माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के कार्यक्रम में शामिल होने के बजाय जिला पदाधिकारी, नालंदा के बिना पूर्वानुमति प्राप्त किये मुख्यालय से बाहर चले जाने तथा तत्संबंधी स्पष्टीकरण के असंतोषप्रद पाये जाने के कारण जिला पदाधिकारी, नालंदा के अनुशंसा के आलोक में उनके विरूद्ध आरोप पत्र गठित करते हुए विभागीय अधिसूचना संख्या–760, दिनांक–20.04.2010 से विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। साथ ही प्रासंगिक मामले में उन्हें विभागीय अधिसूचना संख्या–2371, दिनांक–23.12.2010 से निलंबित करते हुए निलंबन अवधि में मुख्यालय खान एवं भूतत्व विभाग निर्धारित किया गया।

2. विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में प्रमाणित आरोप के दृष्टिगत उन्हें विभागीय अधिसूचना संख्या–278, दिनांक–30.01.2012 से निलंबन मुक्त करते हुए निम्न शास्ति अधिरोपित की गईः–

i. वर्ष 2009–10 के चारित्री में निंदन अंकित करना।
ii. तीन वेतनवृद्वि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक।
iii. निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा।

3. श्री विश्वजीत दॉ, तत्कालीन सहायक निदेशक, जिला खनन कार्यालय, नालंदा सम्प्रति सेवानिवृत प्रभारी उप निदेशक, मुख्यालय द्वारा विभागीय अधिसूचना संख्या–278, दिनांक–30.01.2012 से अधिरोपित शास्ति के विरूद्ध माननीय पटना उच्च न्यायालय में CWJC No.-11966/2012 (विश्वजीत दॉ बनाम बिहार राज्य एवं अन्य) दायर किया गया। माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा उक्त वाद में दिनांक–08.09.2025 को पारित आदेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् हैः–

"20. Coming to facts of the instant case, as seen herein above, neither the enquiry report mentions about any witness having been examined nor does it state about contents of either of the two letters mentioned as evidence in the charge-sheet having been proved by any person. Further it appears that while only two letters dated 27.12.2009 and 14.1.2010 was mentioned as evidence and no further evidence was given, the enquiry report also refers to Letter no.12 dated 27.12.2009.

21. In the facts and circumstances of the case, in the opinion of the Court, the order impugned contained in Memo no.278 dated 30.1.2012 (Annexure-18) issued under

the signature of the Deputy Secretary, Mines and Geology Department, Government of Bihar is not sustainable and is set aside.

22. The writ application is allowed with all consequential reliefs."

माननीय पटना उच्च्च न्यायालय के दिनांक–08.09.2025 के पारित आदेश के विरूद्ध LPA दायर करने के बिन्दु पर विधि विभाग से परामर्श प्राप्त की गई। विद्वान महाधिवक्ता द्वारा LPA दायर करने पर मंतव्य/सहमति नहीं दी गई।

4. माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा CWJC No.- 11966/2012 में दिनांक–08.09.2025 को पारित आदेश के आलोक में श्री विश्वजीत दॉ को विभागीय अधिसूचना संख्या–278, दिनांक–30.01.2012 से दी गयी शास्ति को निरस्त किया गया है। श्री विश्वजीत दॉ का निलंबन अवधि 23.12.2010 से 29.01.2012 तक का विनियमन किया जाना विचाराधीन था।

5. श्री विश्वजीत दॉ के सेवा विनियमन के बिन्दु पर सामान्य प्रशासन विभाग से परामर्श प्राप्त की गई। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा परामर्श दी गई कि श्री विश्वजीत दॉ की सम्पूर्ण निलंबन अवधि को प्रत्येक प्रयोजन से कर्तव्य अवधि के रूप विनियमित किया जाना ही नियम संगत होगा अर्थात निलंबन अवधि के लिए उन्हें पूर्ण वेतन एवं भत्तों का भुगतान किया जायेगा।

6. अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में श्री विश्वजीत दॉ, तत्कालीन सहायक निदेशक, जिला खनन कार्यालय, नालंदा सम्प्रति सेवानिवृत प्रभारी उप निदेशक, मुख्यालय का निलंबन अवधि दिनांक 23.12.2010 से 29.01.2012 तक की अवधि को प्रत्येक प्रयोजन से कर्तव्य अवधि के रूप में विनियमित किया जाता है अर्थात श्री विश्वजीत दॉ को निलंबन अवधि के लिए उन्हें पूर्ण वेतन एवं भत्तों का भुगतान किया जायेगा।

7. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(भारत भूषण प्रसाद)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक– 04/वी0मु0–20–122/12–........................../एम0, पटना, दिनांक.............................
प्रतिलिपि :–महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक– 04/वी0मु0–20–122/12–........................../एम0, पटना, दिनांक.............................
प्रतिलिपिः–कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, नालंदा/सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के अपर सचिव

P.T.O

ज्ञापांक— 04 / वी0मु0—20—122 / 12—........................ / एम0, पटना, दिनांक..........................

प्रतिलिपिः—श्री विश्वजीत दॉ, सेवानिवृत प्रभारी उप निदेशक, मुख्यालय, फ्लैट नं0—'जी', पिया पायल आवासन, रामकृष्णा आश्रम रोड, बोलपुर, पो0+था0—बोलपुर जिला—बीरभूम, वेस्ट बंगाल, पिन कोड—713204 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / —

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक— 04 / वी0मु0—20—122 / 12—...3443... / एम0, पटना, दिनांक...27/05/26...

प्रतिलिपिः—सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव / निदेशक कोषांग / अपर सचिव कोषांग / निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी / राजपत्रित स्थापना शाखा (मु0) / आई0टी0 मैनेजर, (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु) सूचनार्थ प्रेषित।

27/05/26

सरकार के अपर सचिव

27.5.26